



-प्रेस नोट-

दिनांक: 01-04-2024

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा तमन्चे के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध नियन्त्रण हेतु अवैध शस्त्र व इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 31.03.2024 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा हाथ में अवैध तमन्चा लेकर फोटों खिचवाकर सोशल मीडिया पर प्रदर्शित करने वाले अभियुक्त **शाकिब पुत्र साजिद निवासी ग्राम जसमौर पठानपुरा थाना बेहट जिला सहारनपुर** को जसमौर पठानपुरा के पास स्थित गांगरो नदी के पास से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के कब्जे से एक तमन्चा देशी 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0स0-118/2024 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं शौक के तौर पर यह तमन्चा बाहर से खरीदकर लाया था। लोगो पर रोब जमाने के लिए मैंने अवैध तमन्चे के साथ अपना फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया था।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शाकिब पुत्र साजिद नि0 ग्राम जसमौर पठानपुरा थाना बेहट जिला सहारनपुरा

### बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमन्चा देशी 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रोविल्स कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1049 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक: 01.04.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 05 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ सामान व 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस व 03 नाजायज चाकू बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 27.03.2024 को वादी आस मौहम्मद पुत्र महबूब नि0 मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर ने लिखित तहरीर कि मौ0 कुरैशियान मे स्थित वादी की फैक्ट्री से ताबे का तार, सबमर्सिबल अज्ञात चोरो के द्वारा चोरी कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध मे थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-118/24 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिए गये, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा उक्त चोरी की घटना का अनावरण करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण (1) अहसान पुत्र शब्बीर नि0 ग्राम बाढी माजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर उम्र करीब 33 वर्ष (2) फरमान पुत्र फारुख नि0 मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर उम्र करीब 28 वर्ष (3) सोनू उर्फ सुलेमान उर्फ बाला पुत्र भोगर उर्फ फैजान नि0 मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर उम्र करीब 23 वर्ष (4) आबिद उर्फ मीम्मा पुत्र इनाम नि0 मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर उम्र करीब 32 वर्ष (5) अरशद पुत्र शब्बीर नि0 ग्राम बाढी माजरा कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर उम्र करीब 48 वर्ष को थाना गंगोह क्षेत्र के ग्राम बाढी माजरा गांव की तरफ जाने वाले तिराहे पर भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी गये सामान को बरामद किया तथा एक अवैध तमंचा एवं 03 नाजायज चाकू बरामद किये गया। चोरी के सामान की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 की वृद्धि कि गयी तथा अभियुक्तों से तमंचा व चाकू की बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0-122/24 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि जो चोरी का सामान हमसे मिला है वह हमने तीतरो रोड पर बन्द पडी फैक्टरी सिबा इन्टर नैशनल प्र0 लि0 में से चोरी किये थे। तथा दिनांक 30.03.24 की रात को हमारे द्वारा अनाज मण्डी ननोता रोड पर अनाज के गौदाम से अनाज चुराने का प्रयास किया गया था किन्तु वहाँ पर जाग होने से हमे भागना पड़ा जिसमे हमारी मोटर साइकिल डिस्कवर रंग काला न0 यू0पी0 11 ईई 4634 वही पर छूट गयी थी। हम पांचो नशा करते है तथा अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी करते रहते है जो अस्लाह हम से बरामद हुए है वह हमने चोरी करते समय लोगो को डरा धमकाने व अपना रोब गालिब करने के लिए रखे हुए है। तथा आज हम पांचो चोरी किये हुए माल को बेचने के लिए जा रहे थे तो पुलिस द्वारा पकड़ लिए गये।

**बरामदगी का विवरण**

- 01खुली हुई मोटर
- 100 mm केबल करीब 23 फुट
- 02 लोहे की जाली
- 01 समरसिब्ल मोटर
- ताबे का तार करीब 08 कि०ग्रा०
- 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस
- 03 चाकू नाजायज

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- (1) अहसान पुत्र शब्बीर नि० ग्राम बाढी माजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर उम्र करीब 33 वर्ष
- (2) फरमान पुत्र फारुख निवासी मौ० कुरैशियान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर उम्र करीब 28 वर्ष
- (3) सोनू उर्फ सुलेमान उर्फ बाला पुत्र भोगर उर्फ फैजान निवासी मौ० कुरैशियान कस्बा व थाना गंगोह सहारनपुर उम्र 23 वर्ष
- (4) आबिद उर्फ मीम्मा पुत्र इनाम निवासी मौ० कुरैशियान कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर उम्र करीब 32 वर्ष
- (5) अरशद पुत्र शब्बीर नि० ग्राम बाढी माजरा कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर उम्र करीब 48 वर्ष

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त अहसान उपरोक्त**

- मु०अ०सं० 135/16 धारा 387/504 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर  
 मु०अ०सं० 302/18 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर  
 मु०अ०सं० 316/18 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर  
 मु०अ०सं० 479/21 धारा 8/21/60 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर  
 मु०अ०सं० 426/19 धारा 392/411 भादवि थाना नकुड जिला सहारनपुर  
 मु०अ०सं० 536/19 धारा 307 भादवि थाना नकुड जिला सहारनपुर  
 मु०अ०सं० 537/19 धारा 25 आयुद्ध अधि० थाना नकुड जिला सहारनपुर  
 मु०अ०सं० 52/08 धारा 394/411 अधि० थाना गंगोह जिला सहारनपुर  
 मु०अ०सं० 260/08 धारा 386/504/506 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर  
 मु०अ०सं० 284/12 धारा 3 गुण्डा अधि० थाना गंगोह जिला सहारनपुर  
 मु०अ०सं० 420/13 धारा 302/364/201 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर  
 मु०अ०सं० 436/14 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि० थाना गंगोह जिला सहारनपुर  
 मु०अ०सं० 59/08 धारा 25 शस्त्र अधि० थाना गंगोह जिला सहारनपुर  
 मु०अ०सं० 52/08 धारा 394/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर  
 मु०अ०सं० 281 /08 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि० थाना गंगोह जिला सहारनपुर  
 मु०अ०सं० 118/24 धारा 380/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त फरमान**

- मु०अ०सं० 716/14 धारा 3/5/8 गोवध अधि० 11डी पशु क्रूरता अधि० व 307/428/429 भादवि मु०अ०सं० 118/24 धारा 380/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त आबिद-**

- (1) मु0अ0सं0 322/18 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- (2) मु0अ0सं0 74/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- (3) मु0अ0सं0 118/24 धारा 380/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त सोनू उर्फ सलमान**

- (1) मु0अ0सं0 607/20 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- (2) मु0अ0सं0 118/24 धारा 380/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. व0उ0नि0 संजय शर्मा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0का0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. है0का0 322 मोनू चिकारा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. कां0 922 वंश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. का0 1606 दीपक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
7. का0 1839 सन्नी राणा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 01-04-2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 102.5 ग्राम**

**स्मैक व तस्करी में प्रयोग की जाने वाली 01 कार बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियन्त्रण हेतु नशीले पदार्थों एवं इनकी की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह रावल द्वारा मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण 01. रजत पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रामपुर थाना बिलासपुर जिला यमुनानगर हरियाणा हाल पता म0न0 169 अंसल टाऊन बी व्लाक यमुनानगर हरियाणा तथा 02. मनीष पुत्र अचल सिंह निवासी रामनगर वर्क्स शाप जगादरी यमुनानगर हरियाणा को ग्राम कुतुबपुर से अपलाना की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 102.5 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद हुई गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 – 85/24 धारा 8/21/29/60 एन0डी0पी0एस0एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग अनपढ़ है तथा नशा करने के आदी है अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए हम लोग स्मैक को मारुती सियाज कार नम्बर HR 71 F 6600 में घूम घूम कर माँग के अनुसार फुटकर में ग्राहकों को बेच देते हैं तथा इस कार्य से मोटा मुनाफा कमाते हैं जिसको हम आपस में बाँट लेते हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

1. रजत पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रामपुर थाना बिलासपुर जिला यमुनानगर हरियाणा हाल पता म0न0 169 अंसल टाऊन बी व्लाक यमुनानगर हरियाणा
2. मनीष पुत्र अचल सिंह निवासी रामनगर वर्क्स शाप जगादरी यमुनानगर हरियाणा

**बरामदगी का विवरण**

- 102.5 ग्राम स्मैक
- 01 मारुती सियाज कार नम्बर HR 71 F 6600

**गिरफ्तार करने वाली टीम**

1. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह रावल थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
1. हे0का0 1050 नितिन कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. का0 2423 मनमोहन सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 2557 कृष्णा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



दिनांक: 01.04.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना सरसावा पुलिस द्वारा 24 घण्टे में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 शातिर चोर**

**गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई 09 सोलर प्लेट, 03 नाजायज चाकू व 01 नाजायज छूरी बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 31.03.24 को वादी अर्पित जैन पुत्र राजीव जैन निवासी 2/1414 गिरधर लाल भवन दिल्ली रोड सहारनपुर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर के आधार थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 82/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध द्वारा वादी की नर्सरी से 09 सोलर पैनल की चोरी कर के ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री राहुल शर्मा के सुपुर्द की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिए गये, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01.04.24 को उ0नि0 श्री राहुल शर्मा द्वारा मय हमराही फोर्स 24 घण्टे के अन्दर घटना का सफल अनावरण करते हुए सतप्रतिशत: बरामदगी करते हुए चार अभियुक्तगण 01. अंकुल पुत्र आदेश निवासी माजरी कला थाना सरसावा जनपद सहारनपुर 02. अमित पुत्र समय सिंह नि0 माजरी कला थाना सरसावा जनपद सहारनपुर व 03. सन्दीप पुत्र समय सिंह नि0 माजरी कला थाना सरसावा जनपद सहारनपुर 04. सावन उर्फ सुन्दर पुत्र सोमपाल नि0 माजरी कला थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को नकुड रोड पर फ्लाई ओवर के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गई 09 सोलर पैनल व 03 नाजायज चाकू व 01 नाजायज छूरी बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

01. अंकुल पुत्र आदेश निवासी माजरी कला थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
02. अमित पुत्र समय सिंह नि0 माजरी कला थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
03. सन्दीप पुत्र समय सिंह नि0 माजरी कला थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
04. सावन उर्फ सुन्दर पुत्र सोमपाल नि0 माजरी कला थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

- 09 सौलर पैनल
- 03 नाजायज चाकू
- 01 नाजायज छूरी

**गिरफ्तार करने वाली टीम**

1. उ0नि0 राहुल शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1006 तरुण त्यागी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. है0का0 488 राजेश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5. का0 1997 विनीत कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 01.04.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना मिर्जापुर, पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियन्त्रण एवं वांछित /वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक प्रवेश सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ने आज दिनांक 01.04.24 को मुखबिर की सूचना पर 01 वारण्टी अभियुक्त फरमान पुत्र अलीशेर निवासी ग्राम शेरपुर पेलो थाना मिर्जापुर सहारनपुर, सम्बन्धित वाद सं0 212/20 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को उसके घर से दि0 01.04.2024 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पता –**

फरमान पुत्र अलीशेर नि0 ग्राम शेरपुर पेलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –**

1. उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
2. का0 2284 श्रीकृष्ण थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 01.04.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना मिर्जापुर, पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 छूरी नाजायज बरामद ।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण, अवैध अस्लहो की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त **तैय्यब पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को शेरपुर पेलो रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक छूरी बरामद की गयी। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर **मु0अ0सं0 63/24 धारा 4/25 आयुध अधिनियम** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने कि मैं इस छुरे को अपनी सुरक्षा व लोगों को डराने के लिये रखता हूं।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

तैय्यब पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

#### **आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 313/19 धारा 379,411 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 314/19 धारा 379,411 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 255/19 धारा 457,380,411 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 320/19 धारा 380,411 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 337/19 धारा 411,414 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 336/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0 43/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
8. मु0अ0सं0 217/22 धारा 379,411 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
9. मु0अ0सं0 218/22 धारा 379,411 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
10. मु0अ0सं0 219/22 धारा 420,465 भादवि भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
11. मु0अ0सं0 23/23 धारा 380,411 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
12. मु0अ0सं0 263/19 धारा 138 विधुत अधि0 थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

#### **बरामदगी का विवरण –**

01 छूरी नाजायज

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 देशराज सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. का0 2453 संदीप कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. का0 1365 मंजीत कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।





दिनांक: 01.04.2024

-प्रेस नोट-

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना नकुड़, पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियन्त्रण एवं वांछित /वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 01.04.2024 को एक वारण्टी श्रवण पुत्र पिताम्बर निवासी जलालपुरा थाना नकुड़ जिला सहारनपुर को माननीय न्यायालय अपर सत्र जिला न्यायाधीश कक्ष सं0-4 सहारनपुर के वाद एस.टी न0 725/2019, मु0अ0सं0 417/18 धारा 135 विधुत अधिनियम चालानी थाना नकुड़ को इसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

श्रवण पुत्र पिताम्बर निवासी जलालपुरा थाना नकुड़ जिला सहारनपुर

#### अभियुक्त श्रवण उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0 265/19 धारा 323/504/506 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
- 2.मु0अ0सं0 417/18 धारा 135 विधुत अधिनियम चालानी थाना नकुड़ सहारनपुर।

#### अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
- 2.उ0नि0 श्री सत्येन्द्र शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
- 3.है0का0 261 अजीत सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
- 4.है0का0 244 विपिन कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



दिनांक: 01.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना सदर बाजार, पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नजायज तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं अवैध शस्त्रों की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त साहिल कपूर पुत्र सुनिल कपूर निवासी न्यु शारदा नगर एक्सचेंज वाली गली थाना सदर बाजार सहारनपुर को छोटी वाइन की जाने वाली सड़क से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 01 नजायज तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नजायज बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त साहिल कपूर उपरोक्त के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 194/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं यह तमंचा अपने दोस्तों व पड़ोसीयों में अपना रोब जमाने के लिये रखता हूँ तथा मैंने यह तमंचा एक कबाड़ी से खरीदा था, जिसका नाम पता मैं नहीं जानता।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

साहिल कपूर पुत्र सुनिल कपूर निवासी न्यु शारदा नगर एक्सचेंज वाली गली थाना सदर बाजार सहारनपुर।

#### **बरामदगी का विवरण –**

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

- 1 उ0नि0 श्री श्वेता शर्मा थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. है0का0439 सतेन्द्र थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
3. है0का0 753 अमरपाल थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:01-04-2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना बडगांव, पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं वारन्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना बडगांव, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त **रामकुमार पुत्र देवीचन्द्र नि0 ग्राम बुढढा खेडा थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर** सम्बन्धित **वाद संख्या 1082/16, मु0अ0सं0 186/17 धारा 379,411 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट** चालानी थाना बडगांव जिला सहारनपुर न्यायालय सिविल जज (जू0डी0)/ न्यायिक मैजिस्ट्रेट देवबन्द सहारनपुर को उसके घर ग्राम बुढढा खेडा से गिरफ्तार किया गया। वारन्टी अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -**

रामकुमार पुत्र देवीचन्द्र नि0ग्राम बुढढा खेडा थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-**

1. उ०नि० श्री रामप्रकाश पाण्डेय थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 269 भगत थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3. हे0का0 908 ऋषिपाल थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
4. हे0का0 1071 सुबोध थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
5. का0 2462 कोमल थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 01-04-2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**  
**थाना मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वारन्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.4.2024 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 वारंटी अभियुक्त **मौहम्मद फुरकान पुत्र मौ0 अख्तर निवासी मौहल्ला आतिशबाजान थाना मण्डी सहारनपुर सम्बन्धित अ0सं0 16/2000 मुकदमा न0 618/24 धारा 147/452/323/504/506 भादवि चालानी थाना मण्डी नियत दिनांक 03.04.2024 सम्बन्धित न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सहारनपुर सम्बन्धित न्यायालय अतिरिक्त न्यायालय सहारनपुर उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।**

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

मौहम्मद फुरकान पुत्र मौहम्मद अख्तर निवासी मौहल्ला आतिशबाजान थाना मण्डी सहारनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -**

1. उ0नि0 राजकुमार त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. का0 2223 दुर्गेश कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. का0 71 बृजवीर राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 01.04.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना नानौता, पुलिस द्वारा 01 शातिर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं अवैध शस्त्रों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा एक शातिर हिस्ट्रीशीटर (एचएस न0 89ए) अभियुक्त शाहरुख पुत्र ताहिर निवासी मौहल्ला छत्ता कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर को हमामपुर नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शाहरुख उपरोक्त के कब्जे से 01 तमन्चा व 01 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर नाजायज बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 76/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं लोगो को डराने धमकाने व गलत काम करने के लिये अपने पास तमन्चा रखता हूँ। यह तमंचा मैंने राह चलते एक व्यक्ति से खरीदा था जिसका नाम पता मैं नहीं जानता हूँ।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

शाहरुख पुत्र ताहिर निवासी मौहल्ला छत्ता कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर।

#### **बरामदगी का विवरण:-**

01 तमन्चा 315 बोर

01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

#### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 34/19 धारा 136/137 वि0 अधि0 थाना नानौता।
2. मु0अ0सं0 421/18 धारा 395/397/412 भादवि थाना गागलहेडी।
3. मु0अ0सं0 217/19 धारा 392/411 भादवि थाना नानौता।
4. मु0अ0सं0 218/19 धारा 307 भादवि थाना नानौता।
5. मु0अ0सं0 370/18 धारा 34/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता।
6. मु0अ0सं0 306/19 धारा 307 भादवि कट थाना नानौता।
7. मु0अ0सं0 307/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता।
8. मु0अ0सं0 398/19 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट भादवि थाना नानौता।
9. मु0अ0सं0 180/20 धारा 188/269/270 भादवि थाना नानौता।

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 नीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 830 राहुल शर्मा थाना नानौता जनपद सहारनपुर।



प्रेस नोट

दिनांक: 01.04.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना देवबन्द, पुलिस द्वारा दुष्कर्म का आरोपी अभियुक्त किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 21/03/2024 को मुकदमा वादी ने थाने पर आकर लिखित सूचना दी कि वादी की नाबलिंग पुत्री को अज्ञात व्यक्ति घर से बहला फुसलाकर ले गया है। वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 137/24 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर ने उपरोक्त मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये, इस क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय के नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग के अभियुक्त **रोहित कुमार पुत्र गजराज निवासी बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत** को मुखबिर की सूचना पर आज दि0 01.04.24. को रेलवे रोड एटीएस सैन्टर के पास से गिरफ्तार किया गया तथा की पीडिता को सकुशल बरामद किया गया तथा विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 376(3) भादवि व 3/4 (2) पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

रोहित कुमार पुत्र गजराज नि0 बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 रामनरेश वर्मा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. का0 2358 तरुण कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 01.04.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कोतवाली नगर, पुलिस द्वारा 03 शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 52 फ़ूटी देशी शराब व 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गयी।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी व रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01/04/24 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा तीन शातिर शराब तस्कर

**1. अमरीश कुमार पुत्र त्रिलोकचन्द निवासी लोहानी सराय नाला पटरी थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर** को शीतला माता मंदिर से जोगियान पुल के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर पर **मु0अ0सं0 72/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। **2. अभियुक्त अरमान पुत्र इकराम नि0 नियर बडी मस्जिद नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर** को अम्बेडकर पार्क गढी मलूक न01 के सामने से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 24 फ़ूटी देशी शराब रसभरी मसाला उ0प्र0 मार्का बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर पर **मु0अ0सं0 73/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। **3. अभियुक्त शाजेब पुत्र रहीश नि0 नियर बडी मस्जिद नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर** को टीला नूरबस्ती मोड से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 28 फ़ूटी देशी शराब रसभरी मसाला उ0प्र0 मार्का बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर पर **मु0अ0सं0 74/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने बताया कि हम यह शराब हरियाणा से सस्ते दाम में खरीदकर लाते हैं तथा अपने मौहल्ले व आस पास क्षेत्र में महंगे दामों में बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं।

#### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –**

1. अमरीश कुमार पुत्र त्रिलोकचन्द निवासी लोहानी सराय नाला पटरी थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. अभियुक्त अरमान पुत्र इकराम निवासी निकट बडी मस्जिद नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. अभियुक्त शाजेब पुत्र रहीश निवासी निकट बडी मस्जिद नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

#### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमरीश उपरोक्त...**

1. मु0अ0सं0- 100/19 धारा 324,504,506 भादवि थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0- 101/19 धारा 4/25 A. Act थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त अरमान उपरोक्त...**

1. मु0अ0सं0- 185/22 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0- 167/23 धारा 4/25 A. Act थाना कोतवाली मंडी जिला सहारनपुर ।

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त शाहजेब उपरोक्त...**

1. मु0अ0सं0- 233/22 धारा 380,411,457 भादवि थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 659/22 धारा 379,411 भादवि थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर

### **बरामदगी का विवरण –**

1. अभियुक्त अमरीश कुमार उपरोक्त के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद की गयी ।
2. अभियुक्त अरमान उपरोक्त के कब्जे से 24 फ्रूटी देशी शराब रसभरी मसाला नाजायज बरामद की गयी ।
3. अभियुक्त शाजेब उपरोक्त के कब्जे से 28 फ्रूटी देशी शराब रसभरी मसाला नाजायज बरामद की गयी ।

### **अभियुक्त अमरीश को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1. उ0नि0 जोनसन कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्याम सिंह थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
3. उ0नि0 रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
4. उ0नि0 रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
5. है0का0 संजय सिंह थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
6. है0का0 978 अंकित भडाना थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
7. का0 2330 सचिन कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
8. का0 296 तरुण शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
9. का0 1342 कपिल राठी थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।





-प्रेस नोट-

दिनांक: 01.04.2024

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

### थाना कोतवाली मण्डी , पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से कुल 220 ग्राम चरस नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **नबाब पुत्र अख्तर नि0 पीर वाली गली नं0 16 डा0 विनोद वाली गली थाना मण्डी सहारनपुर** को शकूरी मस्जिद के बराबर वाली गली के किनारे से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से कुल **220 ग्राम चरस** नाजायज बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर पर **मु0अ0सं0 136/24 धारा 8/20 NDPS ACT** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैंने यह चरस आने जाने वाले अन्जान ट्रक ड्राइवरो से खरीदी थी किन्तु मुझे उन ट्रक ड्राइवरो का नाम पता ज्ञात नहीं है। इस चरस को मैं अपने आस पास के क्षेत्रों में महंगे दामों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। आज भी मैं इस चरस को बेचने के लिये जा रहा था कि पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

नबाब पुत्र अख्तर नि0 पीर वाली गली नं0 16 डा0 विनोद वाली गली थाना मण्डी सहारनपुर।

#### आपराधिक इतिहास -

➤ मु0अ0सं0 378/21 धारा 60 उत्तर प्रदेश उत्पाद-शुल्क/अबकारी अधिनियम थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

#### बरामदगी का विवरण -

कुल 220 ग्राम चरस नाजायज

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
- का0 1090 अमित कुमार, थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
- का0 1802 बिटटु कुमार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर